छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
मंगलवार, दिनांक 8 मार्च, 2011
(फाल्गुन-17, शक संवत् 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश की सभी महिलाओं को बधाई देते हुए अपने उद्गार व्यक्त किए।

मुख्यमंत्री-डॉ.रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष-श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य-श्री दूजराम बौद्ध, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री लता उसेंडी ने भी अपने उद्गार व्यक्त किए।

2. बधाई

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज माननीय सदस्य श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर का जन्म दिवस है। मैं अपनी तथा सदन की ओर से उन्हें उनकी दीर्घ संसदीय यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं।

3. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 08 (कुल 08) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 24 तारांकित एवं 30 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

4. सदन को सूचना

स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय सदस्यों के लिए विधान सभा भवन स्थित एलोपैथिक चिकित्सालय में दिनांक 8, 9 एवं 10 मार्च, 2011 को तीन दिवसीय स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित है। माननीय सदस्य प्रात: 11 बजे से सायं 5 बजे के मध्य शिविर का लाभ ले सकते हैं।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010,

(2) श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 एवं उस पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट, तथा

(3) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखे एवं प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002, 2002-2003 एवं 2003-2004,

पटल पर रखे।

6. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री शिवराज सिंह उसारे, सदस्य ने धमतरी जिले में छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना अंतर्गत साइकिल वितरण में लापरवाही किये जाने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री केदार कश्यप, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री नंदकुमार पटेल, धर्मजीत सिंह, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, सदस्य ने रायगढ़ जिले में आदिवासियों की जमीन खरीदी-बिक्री में अनियमितता किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

7. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री सौरभ सिंह

(2) श्री दूजराम बौद्ध

(3) श्री महंत रामसुंदर दास

(4) श्री चैतराम साहू

(5) डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय उपाध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री ताम्रध्वज साहू

(2) श्रीमती अंबिका मरकाम

(3) श्री जगेश्वर राम भगत

(4) श्री विरेन्द्र कुमार साहू

(5) श्री भोलाराम साहू

(6) श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर

9. समितियों का निर्वाचन

(1) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने प्रस्ताव किया कि - लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के लिए वित्तीय वर्ष 2011-2012 की अवधि के लिए नौ-नौ सदस्य निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति

श्री महेश गागड़ा, संसदीय सचिव ने प्रस्ताव किया कि - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2011-2012 की अवधि के लिए 09 सदस्य जिनमें से क्रमशः तीन-तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के लिए निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

1. नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में गुरुवार, दिनांक 10 मार्च, 2011 को अपराह्न 4.00 बजे तक दिये जा सकते हैं।
2. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा शुक्रवार दिनांक 11 मार्च, 2011 को अपराह्न 1.30 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-1 में होगी।
3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2011 को अपराह्न 1.30 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है ।
4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 2011 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 में होगा ।

   निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा ।

   उपर्युक्त, निर्वाचन में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित **सूचना कार्यालय** से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

10. वर्ष 2011-2012 की अनुदान मांगों पर चर्चा

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने पुलिस विभाग से संबंधित मांग संख्या 3, गृह विभाग से संबंधित अन्य व्ययों से संबंधित मांग संख्या 4, जेल विभाग से संबंधित मांग संख्या 5, सहकारिता से संबंधित मांग संख्या 17 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-3 पर सर्वश्री रविन्द्र चौबे, नदंकुमार पटेल, धर्मजीत सिंह, (डॉ.) प्रेमसाय सिंह टेकाम, शिवराज सिंह उसारे, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, दूजराम बौद्ध, भोलाराम साहू **मांग संख्या-4 पर** डॉ.हरिदास भारद्वाज **मांग संख्या-5 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, नदंकुमार पटेल, धर्मजीत सिंह, (डॉ.) प्रेमसाय सिंह टेकाम, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, भोलाराम साहू, एवं **मांग संख्या-17 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, (डॉ.) प्रेमसाय सिंह टेकाम, मोहम्मद अकबर, शिवराज सिंह उसारे, (डॉ.) हरिदास भारद्वाज, दूजराम बौद्ध, भोलाराम साहू, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

सर्वश्री देवजी पटेल, (डॉ.शिवकुमार डहरिया-अनुपस्थित), सौरभ सिंह,

(सभापति महोदय (डॉ.हरिदास भारद्वाज) पीठासीन हुए।)

श्री अग्नि चंद्राकर,

(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)

डॉ.सुभाऊ कश्यप, सर्वश्री परेश बागबाहरा, विरेन्द्र कुमार साहू, धर्मजीत सिंह,

(सभापति महोदय (डॉ.हरिदास भारद्वाज) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री नंदकुमार साहू, भजन सिंह निरंकारी, फूलचंद सिंह,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री कुलदीप सिंह जुनेजा, (श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर-अनुपस्थित), लखमा कवासी, अमरजीत भगत, दूजराम बौद्ध, महंत रामसुंदर दास, मोहम्मद अकबर।

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया।

(माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से माननीय मंत्री जी का उत्तर पूर्ण होने तथा अनुदान मांगों पर मत लिए जाने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 5.55 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनाँक 9 मार्च, 2011 (फाल्गुन 18, शक संवत् 1932) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा